निखिलेश झा, आईएएस
संयुक्त सचिव
NIKHILESH JHA, IAS
Joint Secretary

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

सं. 20-8(5)/2007-राभा
दिनांक : 20.10.2008

सेवा में

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of All National Labs/Instts. of CSIR

विषय : राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन [Compliance of the Official Languages Act, 1963 Section 3(3)]

महोदय,

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत सभी कागजात (सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां/टिप्पणियां, संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर के फार्म और नोटिस, संकल्प, नियम, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, सरकारी कागजात आदि) द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) रूप में जारी किए जाने अनिवार्य हैं। इसके [धारा 3(3)] अनुपालनार्थ सभी संबंधितों से समय-समय पर लिखित आग्रह (कृपया देखें सीएसआईआर का दिनांक 7.7.2008 का समसंख्यक परिपत्र) किया जाता रहा है। परंतु देखने में आया है कि अभी भी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वार्षिक प्रतिवेदन (Annoual Reports) केवल अंग्रेजी में जारी किए जा रहे हैं जो कि राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन है। संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 04.10.2008 को एनजीआरआई, हैदराबाद के निरीक्षण के समय इसे गंभीरता से लिया गया है और इस अधिनियम के अनुपालन का निदेश दिया गया है। अतः पुनः आग्रह किया जाता है कि ऐसे कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे इन कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि यह कागजात एक साथ द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं। यह भी कि भविष्य में इस तरह की सामग्री को सीएसआईआर मुख्यालय को भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि इसे एक साथ द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में ही भेजा गया है।

Under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 all documents (General Orders, Notifications, Press Communiques, Contracts, Agreements, Licenses, Permits, Forms of Tender, Tender Notices, Resolutons, Rules, Administrative & Other Reports, Administrative and other reports and Official papers to be laid before a house or houses of Parliament) are invariably be issued bilingually. All concerned have been requested (Please refer to the enclosed CSIR circular letter of even number dated 7.7.2008) from time to time for the compliance of the Section 3(3). But it has been observed that the Annoual Reports of the Labs/Instts. are still being issued in English only, thus, violating the Official Languages Act. It has been taken very seriously by the Second Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language at the time of the Inspection of NGRI, Hyderabad on 04.10.2008 and the Committee has directed for the Compliance of the OL Act. Therefore, all concerned are again requested that it is the responsibility of the Officer signing such documents to ensure that these documents are being issued in billngual form. While sending any of the above documents to the CSIR Hqrs. in future, it should be ensured that the same is sent simultaneously in bilnigual form.

भवदीय,

(निखिलेश झा)

प्रतिलिपि :

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी/हिंदी अधिकारी/हिंदी अनुवादक
3. प्रधान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, सीएसआईआर मुख्यालय - **अनुरोध है कि इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर दर्शाएं।**